



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 597]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 15, 1986/अग्रहायण 24, 1908

No. 597]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 15, 1986/AGRAHAYANA 24, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1986

अधिसूचना

सा. का. नि. 1286 (अ) :—संघ राज्य क्षेत्र (विधि) अधि-
नियम, 1950 (1950 का 30) की धारा 2 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में, इस अधि-
सूचना की तारीख को यथाप्रवृत्त मुंबई श्रम कल्याण निधि अधिनियम,
1953 (1953 का मुंबई अधिनियम 40) की दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र
में निम्नलिखित उपान्तर्गों के अधीन रहते हुए इसके द्वारा विस्तारित करती
है, अर्थात् :—

उपान्तरण

1. अधिनियम में सर्वत्र—

- (1) "महाराष्ट्र राज्य" शब्दों के स्थान पर जहाँ-जहाँ वे आते हैं,
"दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे ;
- (2) जब तक अन्यथा निदेश न किया गया हो "राज्य सरकार"
शब्दों के स्थान पर जहाँ-जहाँ वे आते हैं "प्रशासक" शब्द
रखा जाएगा और किसी भी ऐसे वाक्य में जिसमें ये शब्द

आएँ, ऐसे परिवर्तन भी किए जाएंगे जो व्याकरण के अनुसार
अपेक्षित हों ;

- (3) "शासकीय राजपत्र" शब्दों के स्थान पर, जहाँ-जहाँ वे आते
हैं "दिल्ली राजपत्र" शब्द रखे जाएंगे ;
- (4) "महाराष्ट्र श्रम कल्याण बोर्ड" शब्दों के स्थान पर जहाँ-जहाँ
वे आते हैं "दिल्ली श्रम कल्याण बोर्ड" शब्द रखे जाएंगे ;
- (5) "मुंबई दुकान और स्थापन अधिनियम, 1948" शब्दों और
अंक के स्थान पर जहाँ-जहाँ वे आते हैं, "दिल्ली दुकान और
स्थापन अधिनियम, 1954" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

2. धारा 1 की उपधारा (3) में "ऐसे क्षेत्र में और" शब्दों का
लोप किया जाएगा ।

3. धारा 2 के खंड (1) और (1क) को क्रमशः खंड (1क)
और खंड (1कक) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार
पुनर्संख्यांकित खंडों के पूर्व निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा,
अर्थात् :—

- (1) "प्रशासक" से राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239
के अधीन नियुक्त दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत
है ;

4. धारा 3 की उपधारा (2) में, खंड (च) में "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "सरकार" शब्द रखा जाएगा।

5. धारा 4 की उपधारा (6) का लोप किया जाएगा।

6. धारा 6 को—

(क) उपधारा (7) में "बृहत्तर मुंबई में लघुवाद न्यायालय को और अन्यत्र" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (8) में "लघुवाद न्यायालय या, यथास्थिति," शब्दों का लोप किया जाएगा।

7. धारा 6 खख की उपधारा (1) और (8) में, "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, जहाँ-जहाँ वे आते हैं "सरकार" शब्द रखा जाएगा;

8. धारा 12 की उपधारा (1) में, "जाहे स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा" शब्दों का लोप किया जाएगा।

9. धारा 13 की—

(क) उपधारा (1) में—

(1) "श्रम आयुक्त, मुंबई" शब्दों के स्थान पर "श्रम आयुक्त, दिल्ली," शब्द रखे जाएंगे ;

(2) परन्तु के खंड (क) में, "मुंबई सिविल सेवा नियमों" शब्दों के स्थान पर "दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के कार्यन्वयन कलापों के संबंध में नियुक्त व्यक्तियों को तत्समय लागू निगम" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा।

10. धारा 17 ख की उपधारा (1) में "प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट" शब्दों के स्थान पर "महानगर मजिस्ट्रेट" शब्द रखे जाएंगे।

11. धारा 18 की उपधारा (2) का लोप किया जाएगा।

12. धारा 23 में—

(क) "मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936" शब्दों और अंकों के स्थान पर "दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को लागू होने के संबंध में मजदूरी संदाय अधिनियम 1936" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(ख) "उप धारा द्वारा किए गए संशोधन में, मुंबई श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1953" शब्दों और अंकों के स्थान पर "दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में यथाविस्तारित मुंबई श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1953" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

उपाबंध

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में यथाविस्तारित मुंबई श्रम कल्याण निधि, अधिनियम, 1953 (1953 का मुंबई अधिनियम 40) ऐसे क्रियाकलापों और कुछ अन्य प्रयोजनों का संचालन करने के लिए महाराष्ट्र राज्य में श्रम कल्याण के क्रियाकलापों को अग्रसर करने, वित्त पोषण, निधि के गठन का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

ऐसे क्रियाकलापों और कुछ अन्य प्रयोजनों का संचालन करने के लिए महाराष्ट्र राज्य में श्रम कल्याण के क्रियाकलापों को अग्रसर करने, वित्त पोषण, निधि का गठन करना समीचीन है, अतः निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ— (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मुंबई श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1953 है।

(2) इसका विस्तार समस्त दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो प्रशासक दिल्ली राजपत्र अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

2. परिभाषाएँ :—इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(1) "प्रशासक" से राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए नियुक्त प्रशासक अभिप्रेत है;

(1क) "बोर्ड" से धारा 4 के अधीन गठित दिल्ली श्रम कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है ;

(1कक) "अभिदात" से धारा 6 खख के उपबंधों के अनुसार बोर्ड को संदेय धनराशि अभिप्रेत है।

(2) "कर्मचारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी स्थापन में कोई कुशल या अकुशल, शारीरिक, लिपिकीय पर्यवेक्षीय या तकनीकी कार्य करने के लिए भाड़े या इनाम पर नियोजित है किन्तु इसमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जो—

(क) मुख्यतया प्रबंधकीय हैसियत में नियोजित है, या

(ख) पर्यवेक्षीय हैसियत में नियोजित होते हुए प्रतिमास सोलह सौ रुपये से अधिक का वेतन प्राप्त करता है, या अपने पद से संलग्न कर्तव्यों की प्रवृत्ति के आधार पर या उसमें निहित शक्तियों के कारण मुख्यतया प्रबंधकीय प्रकृति का कार्य करता है ;

(3) "नियोजक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी स्थापन में एक या एक से अधिक कर्मचारियों को सीधे या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से या अपनी ओर या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नियोजित करता है और इसमें निम्नलिखित आते हैं, अर्थात् :—

(1) किसी कारखाने में, कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन प्रबंधक के रूप में नामित कोई व्यक्ति ;

(2) किसी स्थापन में, स्वामी की ओर से कर्मचारियों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण या मजदूरी संदाय के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति ;

(4) "स्थापन" से निम्नलिखित अभिप्रेत है, अर्थात्—

(1) कोई कारखाना,

(2) ट्रामवे, मोटर या बस सेवा या ऐसा मोटर परिवहन उपक्रम जिसे मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 लागू होता है,

(3) दिल्ली दुकान और स्थापन अधिनियम, 1954 (1954 का दिल्ली अधिनियम 7 के अर्थ के भीतर कोई स्थापन जिसमें पांच या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान किसी भी कार्य दिन को नियोजित रहे हैं) ;

परन्तु ऐसा कोई स्थापन, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, किसी भी पश्चातवर्ती समय पांच से कम व्यक्तियों की संख्या में कम हो रहे हुए भी एक स्थापन के रूप में बना रहेगा।

परन्तु यह और कि जहाँ कम से कम तीन मास की लगातार अवधि के लिए उसमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या पांच से कम रही है, वहाँ इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए ऐसा स्थापन उक्त तीन मास की अवधि में समाप्त होने के पश्चात् आगामी मास के आरंभ से स्थापन के रूप में नहीं रह जाएगा किन्तु नियोजक ऐसी समाप्ति की तारीख से एक मास के भीतर, ऐसे तथ्य को, ऐसे प्राधिकारी को जिसे प्रशासक इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, रजिस्ट्रार, डाक द्वारा सूचित करेगा ;

स्पष्टीकरण :—शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि जहाँ किसी स्थापन को विभिन्न शाखाएँ या विभाग

हूँ वहाँ ऐसा सभी शाखाएँ या विभाग, चाहे वे परिसर या विभिन्न परिसरों में स्थित हैं, उसी स्थापन के भाग माने जाएंगे।

(5) "कारखाना" से कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2 (ड) में परिभाषित कारखाना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसा कोई स्थान है जहाँ पाँच या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं या कार्य कर रहे हैं, और—

(1) जहाँ कोई विनिर्माण प्रक्रिया विद्युत की सहायता से की जा रही है या मामूली रूप से की जा रही है ;

(2) जो उक्त अधिनियम की धारा 85 के अधीन कारखाना के रूप में समझा जाएगा।

(6) "निधि" से धारा 3 के अधीन गठित श्रम कल्याण निधि अभिप्रेत है ;

(7) "स्वतंत्र सदस्य" से बोर्ड का ऐसा सदस्य अभिप्रेत है जो किसी स्थापन के प्रबंध से संबंधित नहीं है या ऐसा व्यक्ति जो कर्मचारी नहीं है और इसके अंतर्गत सदस्य के रूप में सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी है।

(8) "निरीक्षक" से धारा 12 के अधीन नियुक्त निरीक्षण अभिप्रेत है।

(9) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

(10) "असदत्त संचयन" से ऐसे सभी संदाय अभिप्रेत हैं जो कर्मचारियों को शोध्य हैं, किन्तु उनका संदाय ऐसी तारीख के तीन वर्ष की अवधि के भीतर नहीं किया गया है जिनकी वे शोध्य हुए थे, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात् हों, जिनमें मजदूरी और वेध रूप से संदेय उपदान सम्मिलित हैं, किन्तु कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 14) के अधीन स्थापित भविष्य निधि में नियोजक द्वारा संदेय अभिदाय की रकम, यदि कोई है, सम्मिलित नहीं है।

(11) "मजदूरी" से मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 (1936 का 4) की धारा 2 (6) में यथा परिभाषित मजदूरी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत वोनस संदाय अधिनियम, 1965 (1965 का 21) के अधीन संदेय वोनस है ;

(12) "कल्याण आयुक्त" से धारा 11 के अधीन नियुक्त आयुक्त अभिप्रेत है।

2क (1961 के महाराष्ट्र अधिनियम 36 द्वारा हटा दिया गया)

3. कल्याण निधि (1) प्रशासक, श्रम कल्याण निधि नामक एक निधि का गठन करेगा और उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी संविदा या लिखित में अंतर्निहित किसी बात के होते हुए भी, सभी असदत्त संचयनों का संदाय, ऐसे अंतरालों पर किया जाएगा जो बोर्ड द्वारा निहित किया जाए। बोर्ड इसका पृथक् लेखा तब तक रखेगा जब तक उससे संबंधित दावों का विनिश्चय धारा 6क में उपबंधित रीति से न कर दिया जाए और उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अन्य राशियों का संदाय निधि में किया जाएगा।

(2) निधि में निम्नलिखित होंगे :

(क) कर्मचारियों से वसूल किए गए सभी जुर्माने ;

(ख) धारा 6क के अधीन निधि में अंतरित असदत्त संचयन ;

(खख) धारा 5 ख के अधीन संदेय कोई दांडिक व्यय ;

(खखख) धारा 6खख के अधीन संदेय अभिदाय।

(ग) कोई स्वैच्छिक संदान ;

(घ) धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन अंतरित कोई निधि ;

(ड) धारा 8 के अधीन उधार ली गई कोई राशि,

(च) सरकार द्वारा संदेय कोई ऋण, सहायता-अनुदान या सहायकी।

4. बोर्ड : (1) प्रशासक, दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समस्त दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए निधि का प्रशासन करने और ऐसे अन्य कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए, जो उसे बोर्ड द्वारा या इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं, एक बोर्ड का गठन करेगा। बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे जिनकी संख्या 26 से अधिक नहीं होगी, अर्थात् :

(क) प्रशासक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले उतनी संख्या में जो नियोजकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों द्वारा विहित की जाएं, बोर्ड में नियोजकों और कर्मचारियों, दोनों का प्रतिनिधित्व समान होंगे,

(ख) प्रशासक द्वारा नामनिर्दिष्ट दोनों संख्या में स्वतंत्र सदस्य जो विहित का जाएं, और

(ग) महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रशासन द्वारा नामनिर्दिष्ट उतनी संख्या में स्वतंत्र सदस्य जो विहित का जाएं।

(2) बोर्ड के सदस्य अपने स्वतंत्र सदस्यों में से एक सदस्य बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेंगे।

(3) इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से जैसा उपबंधित है, उसके सिवाय, बोर्ड के सदस्यों की पदावधि तीन वर्षों की होगी, जो दिल्ली के राजपत्र में सदस्यों के नाम की अधिसूचना की तारीख से प्रारंभ होगी।

(4) बोर्ड के सदस्यों को संदेय भत्ते, यदि कोई हों, ऐसे होंगे, जो विहित किए जाएं।

(5) बोर्ड एक निर्णयित निकाय होगा जो दिल्ली श्रम कल्याण बोर्ड के नाम से कहलाएगा जिसे शासक उत्तराधिकारी और सामान्य मुद्रा होगी और जिसे दोनों जंगम और स्थावर संपत्ति अर्जित करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उनके विरुद्ध वाद लाया जाएगा।

(6) (लुप्त किया गया)

4क (1961 के महाराष्ट्र अधिनियम, 1936 के द्वारा हटा दिया गया।)

5. अनर्हता और हटाया जाना :—(1) बोर्ड के किसी ऐसे व्यक्ति को सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं किया जाएगा या वह सदस्य नहीं बना रहेगा, यदि वह—

(क) बोर्ड का वैतनिक पदधारा, या

(ख) वह दिवालिया है या किसी समय दिवालिया घोषित किया गया है या अपने ऋणों के संदाय को निलंबित किया है या उसने अपने लेनदारों के साथ प्रशमन किया है, या

(ग) पागल पाया गया है या विकृतचित्त हो जाता है ; या

(घ) नैतिक अधमता से संबंधित किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध है या दोषसिद्ध किया गया है।

(2) प्रशासक किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकेगा, यदि वह

(क) उपधारा (1) में वर्णित अनर्हताओं में से किसी के अधीन है या हो जाता है ; या

(ख) बोर्ड की तीन से अधिक बैठकों में, बोर्ड की इजाजत के बिना अनुपस्थित रहता है।

6. सदस्य द्वारा पद त्याग और आकस्मिक रिक्तिओं का भरा जाना:

(1) कोई सदस्य अपने पद से प्रशासक को लिखित सूचना देकर त्यागपत्र से सकता है और ऐसे त्यागपत्र के स्वीकार किए जाने पर यह समझा जाएगा कि उसने अपने पद को रिक्त कर दिया है।

(2) सदस्य के पद को कोई आकस्मिक रिक्त को संबंधित प्राधिकारी द्वारा यथाशक्य सुविधानुसार भरा जाएगा और इस प्रकार तामनिर्दिष्ट सदस्य अपने पूर्वाधिकारी की पदावधि के अनवसित भाग के लिए पद धारण करेगा।

(3) बोर्ड के किसी कार्य या कार्यवाहियों को केवल इस आधार पर प्रयत्न नहीं किया जाएगा कि बोर्ड में कोई रिक्ति विद्यमान थी या बोर्ड के गठन में कोई त्रुटि थी।

6कक. समितियां नियुक्त करने की शक्ति:—बोर्ड को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सलाह देने के प्रयोजन के लिए और धारा की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किन्हीं विषयों को क्रियान्वित करने के लिए भी बोर्ड एक या एक से अधिक समितियों का गठन कर सकेगा। ऐसी प्रत्येक समिति में कम से कम बोर्ड का एक सदस्य होगा।

6क असदत्त संचयन और उनके बारे में दावे:—(1) सभी असदत्त संचयनों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे परित्यक्त संपत्ति हैं।

(2) धारा 3 के उपबंधों के अनुसार बोर्ड को संदत्त कोई असदत्त संचयन, ऐसे संदाय किए जाने पर कर्मचारियों को उसकी बाबत संदाय किए जाने के लिए नियोजक के दायित्व को उन्मोचित कर देगा, किन्तु यह केवल बोर्ड द्वारा संदत्त रकम तक ही होगा और कर्मचारी को पूर्वोक्त सीमा तक संदाय किए जाने का दायित्व इस धारा के अनुगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड को अंतरित समझा जाएगा।

(3) बोर्ड को किसी असदत्त संचयन के संदाय किए जाने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, बोर्ड सूचना द्वारा (जिसमें ऐसी विनिर्दिष्टों अंतर्विष्ट होंगी जो विहित की जाएं)।

(क) कारखाना या स्थापन की सूचना पट पर प्रदर्शित जितने असदत्त संचयन अजित किया गया था, और

(ख) (1964 के महाराष्ट्र अधिनियम 22 द्वारा हटा दिया गया)

(ग) किन्हीं दो परिचालित समाचार पत्रों में और ऐसी भाषा में जो ऐसे क्षेत्र में सामान्य तथा समझी जाती हैं और जिसमें असदत्त संचयन अजित किया गया था और जिसमें कारखाना या स्थापना स्थित है या ऐसी अन्य रीति से जो विहित की जाए, प्रकाशित भी करेगा। दावे की रकम के बारे में ध्यान रखते हुए,—

कर्मचारियों से उन्हें संदेव किसी संदाय के बारे में दावे आमंत्रित करेगा। सूचना प्रत्येक वर्ष के जून और दिसम्बर में पूर्वोक्त रीति से बोर्ड को असदत्त संचयन के संदाय की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए लगाई जाएगी।

(4) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या उपधारा (3) में निर्दिष्ट सूचना उस उपधारा द्वारा अपेक्षित रूप में दी गई है या नहीं, तो उसके बारे में बोर्ड द्वारा दिया गया इस बात का प्रमाणपत्र कि ऐसा सूचना दी गई थी, निश्चायक होगा।

(5) यदि सूचना अन्यथा के उत्तर में ऐसे दावे की बाबत प्रकाशित सूचना की प्रथम तारीख से चार वर्ष की अवधि के भीतर कोई दावा प्राप्त होता है, तो बोर्ड ऐसे दावे को मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 15 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी को जिसकी अधिकारिता उस क्षेत्र पर है जिसमें ऐसा कारखाना या स्थापन स्थित है अंतरित करेगा और ऐसा प्राधिकारी ऐसे दावे को न्याय निर्णित और विनिश्चय करने के लिए अग्रसर होगा। ऐसे दावे की मुबताई करने

समय, प्राधिकारी को उस अधिनियम के उपबंधों द्वारा प्रदत्त शक्तियां होंगी और वह इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया का (जहां तक यह लागू हो) अनुसरण करे।

(6) यदि पूर्वोक्त प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि ऐसा कोई दावा विधिमान्य है जिससे कि संदाय प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, तो वह यह विनिश्चय करेगा कि ऐसा असदत्त संचयन, जिसके तारे में दावा किया गया है परित्यक्त संपत्ति नहीं समझी जाएगी और बोर्ड को दावाकृत सभी सम्पुर्ण शोधका का या उनके हिस्से ऐसे भाग को, जिसके बारे में प्राधिकारी विनिश्चय करे कि वे कर्मचारी को समुचित रूप से शोध्य हैं, संदाय करने के लिए आदेश करेगा और बोर्ड तदनुसार संदाय करेगा।

परन्तु बोर्ड उस राशि के प्राधिकार में संदाय के लिए दायी नहीं होगा जो बोर्ड को दावे की बाबत असदत्त संचयनों के रूप में धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन संदाय किया गया है।

(7) यदि किसी दावे के संदाय के लिए इंकार किया जाता है, तो कर्मचारी को जिला न्यायालय को अपील करने का अधिकार होगा और बोर्ड अपील में किए गए किसी आदेश का अनुपालन करेगा। प्राधिकारी के विनिश्चय के 60 के दिन भीतर अपील की जाएगी।

(8) प्राधिकारी का विनिश्चय पूर्वोक्त अपील के अधीन रहते हुए और जिला न्यायालय को की गई अपील के बारे में विनिश्चय संदाय प्राप्त करने के अधिकार के बारे में, संदाय करने के लिए बोर्ड के दायित्व और रकम के बारे में, यदि कोई हो, अंतिम और निश्चायक होगा।

(9) यदि उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई दावा नहीं किया जाता है या प्राधिकारी द्वारा यथापूर्वोक्त, या अपील किए जाने के पश्चात् न्यायालय द्वारा कोई दावा सम्यक रूप से तामजूर किया जाता है, तो ऐसे दावे की बाबत असदत्त संचयन राज्य को बिना वेकेंसिया के रूप में प्रोदभूत होंगे और उसमें निहित होंगे और उसके पश्चात् अतिरिक्त हस्तांतरण पत्र के बिना निधि को अंतरित कर दिए गए समझे जाएंगे और उसके भाग समझे जाएंगे।

6खब अभिदाय:—(1) किसी स्थापन के किसी कर्मचारी की बाबत इस अधिनियम के अधीन संदेय अभिदाय में नियोजक द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियोजक अभिदाय" कहा गया है) संदेय, ऐसे कर्मचारी द्वारा "(जिसे इसमें इसके पश्चात् "कर्मचारी अभिदाय" कहा गया) संदेय अभिदाय और प्रशासक द्वारा संदेय अभिदाय होंगे और बोर्ड को संदत्त किए जाएंगे और निधि का भाग होंगे।

(2) प्रत्येक कर्मचारी की बाबत हर छह मास के लिए संदेय अभिदाय की रकम केवल 75 पैसे होगी, यदि ऐसे कर्मचारी का मान क्रमशः 30 जून और 31 दिसम्बर को किसी स्थापन के रजिस्टर में हों, और किसी नियोजक को बाबत प्रत्येक ऐसे कर्मचारी लिए प्रत्येक छह मास के लिए 225 पैसे होंगे।

(3) प्रत्येक नियोजक बोर्ड को 15 जुलाई, 15 जनवरी के पूर्व 225 पैसे नियोजक के अभिदाय और 75 पैसे कर्मचारी के अभिदाय का संदाय करेगा।

(4) किसी अन्य अधिनियमित में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, किन्तु इस अधिनियम और किन्हीं नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियोजक किसी ऐसे कर्मचारी की दशा में, उस कर्मचारी का अभिदाय उसकी मजदूरी में से कटौती कर के वसूल करने का हकदार होगा, अन्यथा नहीं, और ऐसी कटौती के बारे में यह समझा जाएगा कि वह मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 द्वारा या उसके अधीन प्राधिकृत कटौती है।

परन्तु ऐसे कर्मचारी द्वारा संदेय अभिदाय की रकम से अधिक रकम की कटौती नहीं की जाएगी और न तो उसकी जून और दिसम्बर मास की मजदूरी से भिन्न मजदूरी से कटौती की जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि अनवधानता से या अन्यथा पूर्वोक्त मास के लिए कर्मचारी की मजदूरी से कोई कटौती नहीं की गई है तो ऐसी कटौती उसके पश्चात्तवर्ती मास या मासों की मजदूरी से, इस अधिनियम के अधीन नियुक्त निरीक्षक की लिखित अनुज्ञा से, की जाएगी।

(5) किसी प्रतिकूलसंविदा के होते हुए भी, कोई नियोजक का अभिदाय किसी कर्मचारी को संदेय, किसी मजदूरी में से कटौती नहीं करेगा या अन्यथा उस कर्मचारी से उसकी वसूली नहीं करेगा।

(6) इस धारा के अधीन किसी कर्मचारी की मजदूरी से नियोजक द्वारा सम्यक् रूप से कटौती की गई किसी राशि के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसे अभिदाय के जिसकी बाबत ऐसी कटौती की गई थी, संदाय के प्रयोजन से कर्मचारी द्वारा उसे व्यस्त की गई है।

(7) कोई नियोजक बोर्ड को नियोजक और कर्मचारी के अभिदाय को चैक, मनोआर्डर या तकद संदाय करेगा और वह बोर्ड को ऐसे अभिदायों को भेजने में हुए व्ययों का वहन करेगा।

(8) कल्याण आयुक्त प्रशासक को यथासंभव शीघ्र प्रत्येक वर्ष के जुलाई और जनवरी के अंत में विहित प्ररूप में एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें नियोजक द्वारा किए गए अभिदायों की और प्रत्येक स्थापन के कर्मचारियों की बाबत कर्मचारियों के अंशदान की कुल रकम दर्शाई जाएगी। कल्याण आयुक्त इस विवरण के प्राप्त होने पर प्रशासन बोर्ड को उतनी रकम का अभिदाय करेगा जो उस स्थापन की बाबत कर्मचारी के अभिदाय के दुगुनी रकम के बराबर हो।

6(ख) असंदत्त संचयन पर व्याज या मांग की सूचना के पश्चात्त जुमाना:—(1) यदि कोई नियोजक, बोर्ड को असंदत्त संचयनों में से या कर्मचारियों से वसूल की गई जुमाने की रकमों में से कोई रकम या धारा 6 खख के अधीन नियोजक और कर्मचारी के अभिदायों की रकम का, इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर संदाय नहीं करता है, तो कल्याण आयुक्त नियोजक को उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर रकम के संदाय के लिए सूचना तामील करा सकेगा जो ऐसी सूचना की तामील की तारीख से 30 दिन से कम नहीं होगी।

(2) यदि नियोजक सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसी किसी रकम का पर्याप्त हेतुक के बिना संदाय करने में असफल रहता है, तो वह उस रकम के अतिरिक्त बोर्ड को साधारण व्याज का संदाय करेगा—

(क) असंदत्त संचयनों या कर्मचारियों से वसूल किए गए जुमाने की किसी रकम का संदाय करने में असफल रहने की दशा में,—

(1) प्रथम तीन मास के लिए, प्रत्येक संपूरित मास के लिए उक्त रकम का एक प्रतिशत, ऐसी अंतिम तारीख के पश्चात्त जिसकी वह सूचना के अनुसार संदाय कर दिया जाना चाहिए था, और

(2) उसके पश्चात्त, प्रत्येक संपूरित मास के लिए उस रकम का डेढ़ प्रतिशत, उस समय के दौरान जिसमें वह उस रकम का संदाय करने में व्यतिक्रम करता है,

(ख) धारा 6 खख के अधीन नियोजक और कर्मचारियों के अभिदायों के किसी रकम के संदाय करने में असफल रहने की दशा में—

(1) प्रथम तीन मास के लिए प्रत्येक संपूरित मास के लिए, उक्त रकम का एक प्रतिशत, उस अंतिम तारीख के पश्चात्त जिसकी वह धारा 6 खख की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार उसे संदाय कर देना चाहिए था, और

(2) उसके पश्चात्त, प्रत्येक संपूरित मास के लिए उस रकम का डेढ़ प्रतिशत उस समय के दौरान जिसमें वह उस रकम के संदाय करने में व्यतिक्रम करता है :

परन्तु कल्याण आयुक्त ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, किसी अवधि के बाबत शास्ति के संपूर्ण या उसके भाग को माफ कर सकेगा।

7. निधि का निहित और लागू होना:—(1) निधि, बोर्ड में निहित होगी और बोर्ड द्वारा धारित की जाएगी और उसके द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए और उस प्रयोजन के लिए, बोर्ड द्वारा न्यायी के रूप में उपयोजित की जाएगी। बोर्ड, इस धनराशि का उपयोग ऐसे उपायों का, जो प्रशासन द्वारा समय-समय पर श्रमिकों और उनके आश्रितों के कल्याण को बढ़ाने के लिए विनिर्दिष्ट किए जाएं, कार्यान्वयन करने के लिए हुए व्यय को चुकाने के लिए करेगा।

(2) उपधारा (1) की व्यापकता कर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निधि में धनराशियों को निम्नलिखित व्यय को चुकाने के लिए बोर्ड द्वारा उपयोग किया जा सकेगा:—अर्थात्:—

(क) सामुदायिक और सामाजिक शिक्षा केंद्रों जिनमें वाचनालय और पुस्तकालय भी सम्मिलित हैं,

(ख) सामुदायिक आवश्यकताएं,

(ग) खेल-कूद और स्नोडा,

(घ) भ्रमण, पर्यटन और अवकाश गृह,

(ङ) मनोरंजन और अन्य प्रकार के आमोद-प्रमोद के रूप,

(च) गृह उद्योग और महिलाओं और बेरोजगार व्यक्तियों के लिए सहायक उपजीविका,

(छ) सामाजिक प्रकृति के सामूहिक क्रियाकलाप,

(ज) अधिनियम के प्रशासन का व्यय जिसमें इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियुक्त, कर्मचारिवृद्ध के वेतन भत्ते, पेंशन, भविष्य निधि और उपदान तथा अन्य अनुषंगी फायदे, और

(झ) ऐसे अन्य उद्देश्य जो प्रशासक की राय में श्रमिकों के जीवनस्तर में वृद्धि और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार ला सके।

परन्तु निधि का किसी ऐसे उपाय के वित्त पोषण के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा जिसे उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन नियोजक द्वारा क्रियान्वित किया जाना अपेक्षित हो :

परन्तु यह और असंदत्त संचयनों और जुमानों का संदाय बोर्ड को किया जाएगा और उसके द्वारा मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 या उस समय प्रवृत्त किसी अन्य निधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अधिनियम के अधीन व्यय किया जाएगा।

(3) बोर्ड, किसी नियोजक, किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य निकाय को, प्रशासक द्वारा अनुमोदित श्रम कल्याण के लिए किसी क्रिया-कलाप की सहायता के लिए निधि में से अनुदान प्रशासक के अनुमोदन से कर सकेगा।

(4) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विनिर्दिष्ट व्यय निधि के नामे डालने योग्य है या नहीं तो यह प्रश्न प्रशासक को निर्दिष्ट किया जाएगा और प्रशासक का विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) बोर्ड के लिए यह विधि मान्य होगा कि वह किसी स्थापना के किसी श्रम कल्याण निधि से वित्त पोषित किसी क्रियाकलाप को चालू रखे, यदि उक्त निधि को बोर्ड को संयक रूप से अंतरित किया गया है।

8. बोर्ड की उधार लेने की शक्ति:—बोर्ड समय-समय पर प्रशासक की पूर्व मंजूरी से इस अधिनियम के उपबंधों और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो द्या निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं इन अधिनियम के प्रयोजन के लिए अपेक्षित कोई राशि उधार ले सकेगा।

9. निधि का विनियान :—जहाँ निधि या उसके किसी भाग को, अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किसी पूर्व तारीख को उपयोजित नहीं किया जा सकता है, वहाँ बोर्ड उसे भारतीय न्याय अधिनियम 1982 (1982 का 11) की धारा 20 के खंड (क) से (घ) तक और खंड (च) में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों से किसी एक में विनिहित करेगा।

10. बोर्ड को प्रशासक के निदेश :—प्रशासक, बोर्ड को ऐसे निदेश दे सकेगा जो निधि से व्यय के संबंध में या इस अधिनियम के अन्य प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए उसकी राय में आवश्यक समीचीन हों। बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे निदेशों का अनुपालन करे।

11. कल्याण आयुक्त की नियुक्ति और शक्ति :—(1) प्रशासक के पूर्व अनुमोदन से बोर्ड द्वारा कल्याण आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी।

(2) कल्याण आयुक्त, बोर्ड का प्रधान कार्यपालक अधिकारी होगा।

(3) कल्याण आयुक्त का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों को सम्यक रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है और इस प्रयोजन के लिए उसे ऐसे आदेश, जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से असंगत न हों और जो वह उचित समझे जिसमें इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन बोर्ड द्वारा किए गए विनिश्चयों को क्रियान्वित करने के लिए कोई आदेश भी सम्मिलित है, जारी करने की शक्ति होगी।

(2) (1961) के महाराष्ट्र अधिनियम, 1936 द्वारा हटा दिया गया।

12. निरीक्षकों की नियुक्ति—1954 का दिल्ली अधिनियम :—

(1) प्रशासक, निधि को संदेय राशियों के संबंध में अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षक नियुक्त कर सकेगा। दिल्ली दुकान और सुधार अधिनियम, 1954 के अधीन किसी क्षेत्र के संबंध में नियुक्त निरीक्षकों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे ऐसे स्थापनों की बाबत, जिसको यह अधिनियम लागू होता है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भी निरीक्षक हैं और ऐसी स्थानीय परिस्थिति जिसके भीतर ऐसे निरीक्षक इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का प्रयोग करेंगे, वह क्षेत्र होगा जिसके लिए वह उक्त अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया है।

(2) कोई निरीक्षक—

(क) ऐसी सहायता से, यदि कोई हो, जो वह ठीक समझे इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए किसी परिसर में किसी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश कर सकेगा,

(ख) ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो विहित की जाएं।

13. श्रम आयुक्त के अधीन विद्यमान कर्मचारिवृन्द का आमेलन :—बोर्ड, श्रम आयुक्त दिल्ली के नियंत्रण के अधीन ऐसे विद्यमान कर्मचारिवृन्द को अपने नियंत्रण में लेगा और नियोजित करेगा जिनके लिए प्रशासक निदेश दे और इस प्रकार भारसाधन में लिया गया और नियोजित, प्रत्येक व्यक्ति इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन होगा।

परन्तु—

(क) ऐसे नियोजन की अवधि के दौरान, उक्त कर्मचारिवृन्द के वेतन, छुट्टी सेवा निवृत्ति, भत्ते, पेंशन, भविष्य निधि के संबंध में सभी विषय और सेवा की अन्य शर्तें दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के त्रियाकलाप के संबंध में नियोजित व्यक्तियों को तत्समय लागू नियमों द्वारा या ऐसे अन्य नियमों द्वारा जो प्रशासक द्वारा समय-समय पर बनाए जाएं, विनियमित की जाएगी,

(ख) ऐसे प्रत्येक सदस्य को किसी अवनति आदेश, पदच्युति सेवा से हटाए जाने, जुर्माना या किसी अन्य दंड के विरुद्ध प्रशासक को अपील करने का अधिकार होगा।

परन्तु यह और कि इस प्रकार नियंत्रण में लिया गया व्यक्ति विहित अवधि के भीतर यह चुनाव कर सकेगा कि वह इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा नियुक्त कर्मचारिवृन्द की सेवा की शर्तों की बाबत इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के द्वारा शासित होना चाहता है और उसके इस प्रकार चुनाव किए जाने पर प्रथम परन्तु के उपबंध उसे लागू नहीं होंगे।

(2) लोप किया गया।

14. बोर्ड द्वारा लिपिकीय और अन्य कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति :—(1) बोर्ड को निधि द्वारा वित्त पोषित क्रियाकलापों को क्रियान्वित और उनका पर्यवेक्षण करने के लिए आवश्यक लिपिकीय और कार्यपालक कर्मचारिवृन्द नियुक्त करने की शक्ति होगी।

परन्तु इस प्रकार नियुक्त कर्मचारिवृन्द के व्यय और अन्य प्रशासनिक व्यय, निधि की वार्षिक आय की विहित प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होंगे।

(2) बोर्ड, प्रशासक के अनुमोदन से अपने कर्मचारिवृन्द के कल्याण आयुक्त और निरीक्षकों से भिन्न सदस्यों के संबंध में भर्ती के तरीके वेतन और भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों के संबंध में विनियम बनाएगा।

परन्तु जब तक कि इस प्रकार विनियम बना नहीं बनाया जाता है, तब तक ऐसे कर्मचारिवृन्द की सेवा की शर्तें प्रशासक द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे।

15. प्रशासक को बोर्ड के कर्मचारिवृन्द के किसी व्यक्ति को हटाने की शक्ति—प्रशासक को ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे वह अनुपयुक्त समझे और जिसके बारे में बोर्ड के एक तिहाई से अधिक सदस्यों की सहमति नहीं है, बोर्ड की सेवा से हटाने और नियुक्त करने की शक्ति होगी।

16. प्रशासक या प्राधिकृत अधिकारी की अभिलेख, आदि की मांग करने की शक्ति :—प्रशासक या प्रशासक द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी बोर्ड के अभिलेखों की मांग सकेगा, उनका निरीक्षण कर सकेगा और बोर्ड के कार्यकरण का पर्यवेक्षण कर सकेगा।

17. बोर्ड को संदेय राशि की वसूली के ढंग, आदि :—इस अधिनियम के अधीन बोर्ड को या निधि में संदेय कोई राशि, वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड की ओर से भू-राजस्व की वकाया के रूप में वसूली होगी।

17क. निरीक्षकों के कर्तव्यों के निर्वहन में निरीक्षण करने में बाधा पहुंचाने के लिए या दस्तावेज, आदि प्रस्तुत करने में असफल रहने के लिए शास्ति :—कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी निरीक्षक को उसकी शक्तियों के प्रयोग करने में या इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाता है या इस अधिनियम के उपबंध या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में रखे गए कोई रजिस्टर, विलेख या अन्य दस्तावेजों को निरीक्षण के लिए मांग किए जाने पर प्रस्तुत करने में या ऐसे किसी दस्तावेज की शुद्ध प्रतियों की मांग किए जाने पर प्रदाय करने में असफल रहता है तो दोषसिद्ध पर,

(क) प्रथम अपराध के लिए कारावास से जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पांच सौ रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जाएगा; और

(ख) द्वितीय या पश्चात्तर्ती अपराधों के लिए कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

परन्तु न्यायालय के निर्णय में वर्णित विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में किसी भी दशा में जहाँ अपराधी केवल जुमनि से दण्डित किया गया है वहाँ जुमनि की रकम पचास रूप से कम न होगी।

17ख. अधिकारिता के संबंध में उपबंध—(1) महानगर मजिस्ट्रेट से श्वर कोई न्यायालय धारा 17क के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

(2) कल्याण आयुक्त की पूर्व मजूरी से निरीक्षक के सिवाए ऐसे अपराध के लिए अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा।

(3) कोई न्यायालय अपराध का संज्ञान नहीं करेगा जब तक उस तारीख के छह मास के भीतर जिसको अपराध किया जाना अभिकथित है ऐसी शिकायत की गई।

18. बोर्ड का अभिक्रम—(1) यदि प्रशासक का समाधान हो जाता है कि बोर्ड ने इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित किन्हीं कर्तव्यों के पालन में व्यतिक्रम किया है या उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, तो प्रशासक दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बोर्ड का अधिक्रमण कर सकेगा और बोर्ड का ऐसी रीति से पुनर्गठन कर सकेगा जो बोर्ड के गठन के लिए विहित हो।

परन्तु, इस धारा के अधीन अधिसूचना जारी करने के पूर्व, प्रशासक बोर्ड को इस बात का हेतुक दशित करने का युक्तियुक्त अवसर देगा कि क्यों न उसका अधिक्रमण कर दिया जाए और वह बोर्ड द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों और आक्षेपों पर, यदि कोई हो विचार करेगा।

(2) बोर्ड के अधिक्रमण के पश्चात् और जब तक उसका पुनर्गठन नहीं कर दिया जाता है तब तक इस अधिनियम के अधीन बोर्ड की शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों का प्रयोग या पालन, बोर्ड या उसके ऐसे अधिकारी या अधिकारियों द्वारा, जिन्हें इस प्रयोजन के लिए प्रशासक नियुक्त करें किया जाएगा।

19. नियम :—(1) प्रशासक, दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों के लिए या उनमें से किन्हीं एक के लिए बनाए जा सकेंगे, अर्थात् :

(क) ऐसे अंतरालों पर या ऐसी अवधि के भीतर, धारा 3 में निर्दिष्ट किन्हीं राशियों का बोर्ड को या निधि में संदाय किया जाएगा, ऐसे संदाय किए जाने की रीति और ऐसी किसी राशि के संग्रहण के लिए अभिकरण और रीति ;

(ख) ऐसी रीति जिसके अनुसार धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निधि के लेखे रखे जाएँ और उनकी लेखा परीक्षा की जाएगी ;

(ग) धारा 7 के अधीन निधि को अनुदान संजूर करने की प्रक्रिया ;

(घ) निधि के प्रशासन में उपगत व्यय को चुकाने के लिए प्रक्रिया ;

(ङ) नियोजनों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की संख्या, बोर्ड में स्वतंत्र सदस्यों और महिलाओं के प्रतिनिधि और धारा 4 के अधीन उन्हें संदेय भत्ते दिए, यदि कोई हों ;

(च) ऐसी रीति जिसके अनुसार बोर्ड अपने कारखाने का संचालन करेगा ;

(छ) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त निरीक्षकों के कर्तव्य और शक्तियाँ और इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कल्याण आयुक्त और निरीक्षकों की सेवा की शर्तें ;

(छक) कल्याण आयुक्त को बोर्ड की शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन और ऐसी शर्तें और परिसीमाएँ, जिनके अधीन रहते हुए ऐसी शक्तियों का प्रयोग या ऐसे कृत्यों का निर्वहन किया जा सकेगा ;

(ज) निधि की वार्षिक आय की प्रतिशतता जिसके परे, बोर्ड कर्मचारिवृद्ध और प्रशासनिक सदस्यों पर व्यय नहीं करेगा ;

(झ) इस अधिनियम के अधीन रखे जाने वाले रजिस्ट्रारों और अभिलेख और बोर्ड को भेजी जाने वाली विवरणियाँ ;

(ञ) ऐसे क्रियाकलापों को रिपोर्ट का प्रकाशन जो निधि की ऐसी प्राप्तियों और व्ययों के विवरण सहित जो निधि से वित्त पोषित हैं और लेखाओं का विवरण ;

(ट) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन है या जो विहित किए जाएँ।

(3) (लौप किया गया)

20. बोर्ड के सदस्य, कल्याण आयुक्त, निरीक्षक और बोर्ड के सभी अधिकारी और सेवकों का लोक सेवक होना :—बोर्ड के सदस्य, कल्याण आयुक्त, बोर्ड के निरीक्षक और सभी अधिकारी और सेवक, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक समझे जाएँगे।

21. सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले व्यक्ति को संरक्षण :—इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद या अभियोजन या अन्य विधिक कार्य-वाह, किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।

22. छूट : प्रशासक, दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों से, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएँ, किसी वर्ग के स्थापन को छूट दे सकेगा।

23. 1936 के अधिनियम संख्यांक 4 की धारा 8 का संशोधन :—मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 8, की उपधारा (8) में दिल्ली राज्य क्षेत्र को लागू होने के संबंध में, स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“किन्तु ऐसे किसी कारखाने या स्थापन की दशा में, जिस पर दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में यथानिस्तारित मुम्बई श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1953 (मुम्बई 1953 का अधिनियम 40) लागू होता है, ऐसे सभी स्थापनों का संदाय उक्त अधिनियम के अधीन गठित निधि में किया जाएगा।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 15th December, 1986

NOTIFICATION

G.S.R. 1286(E).—In exercise of the powers conferred by section 2 of the Union Territories (Laws) Act, 1950 (30 of 1950), the Central Government hereby extends to the Union territory of Delhi, the Bombay Labour Welfare Fund Act, 1953 (Bombay Act XL of 1953), as in force in the State of Maharashtra at the date of this notification, subject to the following modifications, namely:—

MODIFICATIONS

1. Throughout the Act,—

- (i) for the words "State of Maharashtra", wherever they occur, the words "Union territory of Delhi" shall be substituted;
- (ii) unless otherwise directed, for the words "State Government", wherever they occur, the word "Administrator" shall be substituted and there shall also be made in any sentence in which those words occur such changes as the rules of grammar require;
- (iii) for the words "Official Gazette", wherever they occur, the words "Delhi Gazette" shall be substituted;
- (iv) for the words "Maharashtra Labour Welfare Board" wherever they occur, the words "Delhi Labour Welfare Board" shall be substituted;
- (v) for the words and figures "the Bombay Shops and Establishments Act, 1948" wherever they occur, the words and figures "the Delhi Shops and Establishments Act, 1954" shall be substituted.

2. In section 1, sub-section (3), the words "in such area and" shall be omitted.

3. In section 2, clauses (1) and (1A) shall be renumbered as clauses (1A) and (1AA), respectively, and before the clauses as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely:—

- (1) "Administrator" means the Administrator of the Union territory of Delhi appointed by the President under article 239 of the Constitution."

4. In section 3, in sub-section (2), in clause (f), for the words "State Government", the word "Government" shall be substituted.

5. In section 4, sub-section (6) shall be omitted.

6. In section 6A,—

- (a) in sub-section (7), the words "in Greater Bombay to the Court of Small Causes and elsewhere" shall be omitted;
- (b) in sub-section (8), the words "the Court of Small Causes, or as the case may be," shall be omitted.

7. In section 6BB, in sub-sections (1) and (2) for the words "State Government", wherever they occur, the word "Government" shall be substituted;

8. In section 12, in sub-section (1), the words, "whether by a local authority or the State Government" shall be omitted.

9. In section 13,—

(a) in sub-section (1),—

- (i) for the words, "Commissioner of Labour, Bombay", the words "Labour Commissioner, Delhi" shall be substituted;
- (ii) in clause (a) of the proviso, for the words "the Bombay Civil Service Rules", the words "the rules for the time being applicable to persons employed in connection with the affairs of the Union territory of Delhi" shall be substituted;

(b) sub-section (2) shall be omitted.

10. In section 17B, in sub-section (1), for the words "Presidency Magistrate or a Magistrate of the first Class", the words "Metropolitan Magistrate" shall be substituted.

11. In section 19, sub-section (3) shall be omitted.

12. In section 23,—

- (a) for the words and figures "the Payment of Wages Act, 1936", the words and figures "the Payment of Wages Act, 1936, in its application to the Union territory of Delhi" shall be substituted;
- (b) in the amendment directed by that section, for words and figures "the Bombay Labour Welfare Fund Act, 1953" the words and figures "the Bombay Labour Welfare Fund Act, 1953, as extended to the Union territory of Delhi" shall be substituted.

ANNEXURE

THE BOMBAY LABOUR WELFARE FUND ACT, 1953 (BOMBAY ACT XL OF 1953) AS EXTENDED TO THE UNION TERRITORY OF DELHI.

An Act to provide for the constitution of a Fund for the financing of activities to promote welfare of labour in the State of Maharashtra for conducting such activities and for certain other purposes.

Whereas it is expedient to constitute a Fund for the financing of activities to promote welfare of labour in the State of Maharashtra for conducting such activities and for certain other purposes. It is hereby enacted as follows:

1. Short title, extent and commencement.—

(1) This Act may be called the Bombay Labour Welfare Fund Act, 1953.

(2) It extends to the whole of the Union territory of Delhi.

(3) It shall come into force on such date as the Administrator may, by notification in the Delhi Gazette, appoint in this behalf.

2. In this Act, unless the context otherwise requires—

- (1) "Administrator" means the Administrator of the Union territory of Delhi appointed by the President under article 239 of the Constitution;
- (1A) "Board" means for Delhi Labour Welfare Board constituted under section 4;
- (1AA) "contribution" means the sum of money payable to the Board in accordance with the provisions of section 6BB;
- (2) "employee" means any person who is employed for hire or reward to do any work, skilled or unskilled, manual, clerical, supervisory, or technical in an establishment but does not include any person—
- (a) who is employed mainly in a managerial capacity, or
- (b) who, being employed in a supervisory capacity draw as wages exceeding one thousand and six hundred rupees per mensem or exercises, either by the nature of the duties attached to the office, or by reason of the powers vested in him, functions mainly of a managerial nature;
- (3) "employer" means any person who employs either directly or through another person either on behalf of himself or any other person, one or more employees in an establishment and includes—
- (i) in a factory, any person named under section 7 (1)(f) of the Factories Act, 1948 (LXIII of 1948) as the manager;
- (ii) in any establishment, any person responsible to the owner for the supervision and control of the employees or for the payment of wages;
- (4) "establishment" means—
- (i) a factory;
- (ii) a tramway or motor omnibus service or a motor transport undertaking to which the Motor Transport Workers Act, 1961 applies; and
- (iii) any establishment within the meaning of the Delhi Shops and Establishments Act, 1954, which employs, or on any working day during the preceding twelve months, employed five or more persons :

Provided that, any such establishment shall continue to be an establishment for the purposes of this Act, notwithstanding a reduction in the number of persons to less than five at any subsequent time :

1296 GI/86-2

Provided further that, where for a continuous period of not less than three months the number of persons employed therein has been less than five such establishment shall cease to be an establishment for the purposes of this Act with effect from the beginning of the month following the expiry of the said period of three months, but the employer shall within one month from the date of such cessation, intimate by registered post the fact thereof to such authority as the Administrator may specify in this behalf :

Explanation.—For the removal of doubt, it is hereby declared that where an establishment has different branches or departments, all such branches or departments, whether situated in the same premises or different premises, shall be treated as parts of the same establishment;

- (5) "Factory" means a factory as defined in section 2(m) of the Factories Act, 1948, (LXIII of 1948) and includes any place wherein five or more persons are employed or working, and—
- (i) where in any manufacturing process is being carried on with the aid of power or is ordinarily so carried on;
- (ii) which is deemed to be a factory under section 85 of the said Act;
- (6) "Fund" means the Labour Welfare Fund constituted under section 3;
- (7) "independent member" means a member of the Board who is not connected with the management of any establishment or who is not an employee, and includes an officer of Government nominated as a member;
- (8) "Inspector" means an Inspector appointed under section 12;
- (9) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (10) "unpaid accumulation" means all payments due to the employees but not made to them within a period of three years from the date on which they became due whether before or after the commencement of this Act including the wages, and gratuity legally payable but not including the amount of contribution, if any, paid by an employer to a provident fund established under the Employees' Provident Funds Act, 1952 (XIV of 1952);
- (11) "wages" means wages as defined in section 2(vi) of the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936) and includes bonus payment under the Payment of Bonus Act, 1965 (21 of 1965);
- (12) "Welfare Commissioner" means the Welfare Commissioner appointed under section 11.

2A. Deleted by Maharashtra Act 36 of (1961)

3. Welfare Fund.—(1) The Administrator shall constitute a fund called the Labour Welfare Fund, and notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or in any contract or instrument, all unpaid accumulations shall be paid at such intervals as may be prescribed to the Board, which shall keep a separate account therefor until claims thereto have been decided in the manner provided in section 6A, and the other sums specified in sub-section (2) shall be paid into the Fund.

(2) The Fund shall consist of—

- (a) all fines realised from the employees;
- (b) unpaid accumulations transferred to the Fund under section 6A;
- (bb) any penal interest paid under section 6B;
- (bbb) any contribution paid under section 6BB;
- (c) any voluntary donations;
- (d) any fund transferred under sub-section (5) of section 7;
- (e) any sum borrowed under section 8;
- (f) any loan, grant-in-aid or subsidy paid by the Government.

(3) The sums specified in sub-section (2) shall be paid, or collected by such agencies, at such intervals and in such manner and the accounts of the Fund shall be maintained and audited in such manner as may be prescribed.

4. (1) The Administrator shall, by notification, in the Delhi Gazette constitute the Board for the whole of the Union territory of Delhi for the purpose of administering the Fund, and to carry on such other functions assigned to the Board by or under this Act. The Board shall consist of the following members not exceeding twenty-six in number, namely.—

- (a) such number as may be prescribed of representatives of employers and employees to be nominated by the Administrator : Provided that both employers and employees shall have equal representation on the Board;
- (b) such number of independent members as may be prescribed, nominated by the Administrator; and
- (c) such number of independent members as may be prescribed, nominated by the Administrator to represent women.

(2) The members of the Board shall elect one of its independent members as the Chairman of the Board.

(3) Save as otherwise expressly provided by this Act, the term of office of the members of the Board shall be three years commencing on the date on which the names are notified in the Delhi Gazette.

(4) The allowances, if any, payable to the members, of the Board shall be such as may be prescribed.

(5) The Board shall be a body corporate by the name of the Delhi Labour Welfare Board having perpetual succession and a common seal with power to acquire property both moveable and immovable, and shall by the said name sue and be sued.

(6) (Deleted by Maharashtra Act 36 of 1961)

5. Disqualifications and removal. (1) No person shall be chosen as, or continue to be a member of the Board who:—

- (a) is a salaried official of the Board; or
- (b) is or at any time has been adjudged insolvent or has suspended payment of his debts or has compounded with his creditors; or
- (c) is found to be a lunatic or becomes of unsound mind; or
- (d) is or has been convicted of any offence involving moral turpitude.

(2) The Administrator may remove from office any member who :—

- (a) is or has become subject to any of the disqualifications mentioned in sub-section (1); or
- (b) is absent without leave of the Board for more than three consecutive meetings of the Board.

6. Resignation of office by member and filling up casual vacancies. (1) A member may resign his office by giving notice thereof in writing, to the Administrator, and on such resignation being accepted, shall be deemed to have vacated his office.

(2) A casual vacancy in the office of a member shall be filled up, as soon as conveniently may be, by the authority concerned and a member so nominated shall hold office for the unexpired portion of the term of the office of his predecessor.

(3) No act or proceedings of the Board shall be questioned on the ground merely of the existence of any vacancy in, or any defect in constitution of the Board.

6AA. Power to appoint Committees. For the purpose of advising the Board in the discharge of its functions and also for carrying into effect any of the matters specified in sub-section (2) of section 7, the Board may constitute one or more Committees, of which at least one on each Committee shall be a member of the Board.

6A. Unpaid accumulations and claims thereto. (1) All unpaid accumulations shall be deemed to be abandoned property.

(2) Any unpaid accumulations paid to the Board in accordance with the provisions of section 3 shall on such payment, discharge an employer of the liability to make payment to an employee in respect thereof but to the extent only of the amount paid to the Board, and the liability to make payment to the employee to the extent aforesaid shall be subject to the succeeding provisions of this section be deemed to be transferred to the Board.

(3) As soon as possible after the payment of any unpaid accumulations is made to the Board, the Board shall by notice (containing such particulars as may be prescribed) —

- (a) exhibited on the notice-board of the factory or establishment in which the unpaid accumulation was earned and
- (b) (deleted by Maharashtra Act 22 of 1964)
- (c) also published in any two newspapers circulating and in the language commonly understood in the area in which the factory or establishment in which the unpaid accumulation was earned is situate, or in such other manner as may be prescribed, regard being had to the amount of the claim,

Invite claims by employees for any payment due to them. The notice shall be inserted in the manner aforesaid in June and December of every year, for a period of three years from the date of the payment of the unpaid accumulation to the Board.

(4) If any question arises whether the notice referred to in sub-section (3) was, given as required by that sub-section, a certificate of the Board that it was so given shall be conclusive.

(5) If a claim is received whether in answer to the notices or otherwise, within a period of four years from the date of first publication of the notice in respect of such claim, the Board shall transfer such claim to the Authority appointed under section 15 of the payment of Wages Act, 1936 (IV of 1936), having jurisdiction in the area in which the factory or establishment is situated, and the Authority shall proceed to adjudicate upon and decide, such claim. In hearing such claim, the Authority shall have the powers conferred by, and follow the procedure (in so far as it is applicable) for allowed in giving effect to the provisions of that Act.

(6) If the Authority aforesaid is satisfied that any such claim is valid so that the right to receive payment is established, it shall decide that the unpaid accumulation in relation to which the claim is made shall cease to be deemed to be abandoned property, and shall order the Board to pay the whole of the dues claimed, or such part thereof as the Authority decides are properly due, to the employees; and the Board shall make payment accordingly :

Provided that, the Board shall not be liable to pay any sum in excess of that paid under sub-section (1) of section 3 to the Board as unpaid accumulations, in respect of the claim.

(7) If a claim for payment is refused, the employee shall have a right of appeal to the District Court, and the Board shall comply with any order made in appeal. An appeal shall lie within sixty days of the decision of the Authority.

(8) The decision of the Authority, subject to appeal aforesaid, and the decision in appeal of the District Court, shall be final and conclusive as to the right to receive payment, the liability of the Board to pay and also as to the amount, if any.

(9) If no claim is made within the time specified in sub-section (5), or a claim has been duly refused as aforesaid by the Authority, or on appeal by the Court, then the unpaid accumulations in respect of such claim shall accrue to, and vest in, the State as bona vacantia and shall thereafter, without further assurance be deemed to be transferred to, form part of, the Fund.

6BB. Contributions (1) The contribution payable under this Act in respect of an employee in an establishment shall comprise contribution, payable by the employers (here-in-after referred to as 'the employers contribution') contribution payable by such employee (here-in-after referred to as 'the employee's contribution') and the contribution payable by the Administrator and shall be paid to the Board and form part of the Fund.

(2) The amount of contribution payable every six months in respect of every employee shall be 75 paise, only if the name of such employee stands on the register of an establishment on 30th June and 31st December, respectively; and in respect of an employer for each such employee shall be 225 paise payable every six months.

(3) Every employer shall pay to the Board both the employer's contribution of 225 paise and the employee's contribution of 75 paise, before the 15th day of July and 15th day of January.

(4) Notwithstanding anything contained in any other enactment but subject to the provisions of this Act and any rules, the employer shall in the case of any such employee be entitled to recover from the employee that employee's contribution by deduction from his wages, and not otherwise; and such deduction shall be deemed to be a deduction authorised by or under the Payment of Wages Act 1936 (4 of 1936).

Provided that, no such deduction shall be made in excess of the amount of the contribution payable by such employee, not shall be made from any wages other than the wages for the months of June and December ;

Provided further that, if through inadvertance or otherwise, no deduction has been made from the wages of an employee for the months aforesaid, such deduction may be made from the wages of such employee for any subsequent months or months with the permission in writing of the Inspector appointed under this Act.

(5) Notwithstanding any contract to the contrary, no employer shall deduct the employer's contribution from any wages payable to an employee or otherwise recover it from the employee.

(6) Any sum duly deducted by an employer from the wages of an employee under this section shall be deemed to have been entrusted to him by the employee for the purpose of paying the contribution in respect of which it was deducted.

(7) An employer shall pay the employer's and the employee's contribution to the Board by cheque, money order or in cash, and he shall bear the expenses of remitting to the Board such contributions.

(8) The Welfare Commissioner shall submit to the Administrator as soon as possible after the end of July and January every year in the prescribed form a statement showing the total amount of the employee's contribution and the employees' contribution in respect of employees in each establishment. On receipt of the statement from the Welfare Commissioner the Administrator shall pay to the Board, a contribution of an amount equal to twice the employees contribution in respect of that establishment.

6B. Interest on unpaid accumulations or fines after notice of demand. (1) If an employer does not pay to the Board any amount of unpaid accumulations, or fines realised from the employees or the amount of the employer's and employee's contributions under section 6BB within the time he is required by or under the provisions of this Act to pay it, the Welfare Commissioner may cause to be served a notice on such employer to pay the amount within the period specified therein, which shall not be less than thirty days from the date of service of such notice.

(2) If the employer fails, without sufficient cause, to pay any such amount within the period specified in the notice, he shall, in addition to that amount, pay to the Board simple interest—

- (a) in the case of a failure to pay any amount of unpaid accumulations or fines realised from the employees.—
 - (i) for the first three months, at one per cent, of the said amount for each completed months, after the last date by which he should have paid it according to the notice; and
 - (ii) thereafter, at one and a half per cent of that amount for each completed month, during the time he continues to make default in the payment of that amount;
- (b) in the case of a failure to pay any amount of the employer's and employees' contributions under section 6BB,—
 - (i) for the first three months, at one per cent of the said amount for each completed month, after the last date by which he should have paid it in accordance with the provisions of sub-section (3) of section 6BB; and
 - (ii) thereafter, at one and a half per cent of that amount for each completed month, during the time he continues to make default in the payment of that amount;

Provided that, the Welfare Commissioner may, subject to such conditions as may be prescribed, remit the whole or any part of the penalty in respect of any period.

7. Vesting and application of Fund. (1) The fund shall vest in and be held and applied by the Board as Trustees subject to the provisions and for the purpose of this Act. The moneys therein shall be utilized by the Board to defray the cost of carrying out measures

which may be specified by the Administrator from time to time to promote the welfare of labour and of their dependents.

(2) Without prejudice to the generality of sub-section (1) the moneys in the Fund may be utilised by the Board to defray expenditure on the following:

- (a) community and social education centres including reading rooms and libraries;
- (b) community necessities;
- (c) games and sports;
- (d) excursions, tours and holiday home;
- (e) entertainment and other forms of recreations;
- (f) home industries and subsidiary occupations for women and unemployed persons;
- (g) corporate activities of a social nature;
- (h) cost of administering the Act including the salaries and allowances pension, provident fund and gratuity and any other fringe benefits of the staff appointed for the purposes of the Act; and
- (i) such other object as would in the opinion of the Administrator improve the standard of living and ameliorate the social conditions of labour;

Provided that the Fund shall not be utilised in financing any measure which the employer is required under any law for the time being in force to carry out;

Provided further that unpaid accumulations and fines shall be paid to the Board and be expended by it under this Act notwithstanding anything contained in the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936), or any other law for the time being in force.

(3) The Board may, with the approval of the Administrator, make a grant of the Fund to any employer, any local authority or any other body in aid of any activity for the welfare of labour approved by the Administrator.

(4) If any question arises whether any particular expenditure is or is not debitable to the Fund, the matter shall be referred to the Administrator and the decision given by the Administrator shall be final.

(5) It shall be lawful for the Board to continue any activity financed from the labour welfare fund of any establishment, if the said fund is duly transferred to the Board.

8. Power of Board to borrow. The Board may from time to time with the previous sanction of the Administrator and subject to the provisions of this Act and to such conditions as may be specified in this behalf borrow any sum required for the purpose of this Act.

Investment of Fund (11 of 1882).—Where the Fund or any portion thereof cannot be applied at any early date for fulfilling the objects of the Act, the Board shall invest the same in any of the securities specified in clauses (a) to (d) and (f) of section 20 of the Indian Trusts Act, 1882.

10. Directions by Administrator to Board.—The Administrator may give the Board such directions as in his opinion are necessary or expedient in connection with expenditure from the Fund or for carrying out the other purposes of the Act. It shall be the duty of the Board to comply with such directions.

11. Appointment and power of Welfare Commissioner.—(1) (i) The Welfare Commissioner shall be appointed by the Board with the previous approval of the Administrator ;

(ii) The Welfare Commissioner shall be the principal executive officer of the Board ;

(iii) It shall be the duty of the Welfare Commissioner to ensure that the provisions of this Act and the rules made thereunder are duly carried out and for this purpose he shall have the power to issue such orders not inconsistent with the provisions of the Act and rules made thereunder as he deems fit including any order implementing the decisions taken by the Board under the Act or rules made thereunder.

(2) (Deleted by Maharashtra Act 36 of 1961).

12. Appointment of Inspectors, Delhi Act 7 of 1954.—(1) The Administrator may appoint inspectors to inspect records in connection with the sums payable into the Fund. Inspectors appointed under the Delhi Shops and Establishments Act, 1954, in relation to any area, shall be deemed to be also Inspectors for the purposes of this Act, in respect of establishments to which this Act applies, and the local limits within which such Inspector shall exercise his functions under this Act shall be the area for which he is appointed under the said Act.

(2) Any Inspector may—

(a) with such assistance, if any, as he thinks fit, enter at any reasonable time any premises for carrying out the purposes of this Act ;

(b) exercise such other powers as may be prescribed.

13. Absorption of the existing staff under Commissioner of Labour.—(1) The Board shall take over and employ such of the existing staff under the control of the Labour Commissioner, Delhi, as the Administrator may direct and every person so taken over and employed shall be subject to the

provisions of this Act and the rules made thereunder :—

Provided that—

(a) during the period of such employment all matters relating to pay, leave, retirement, allowances, pensions, provident fund and other conditions of service of the said staff shall be regulated by the rules for the time being applicable to persons employed in connection with the affairs of the Union territory of Delhi or such other rules as may be from time to time be made by the Administrator.

(b) every such member shall have a right of appeal to the Administrator against any order of reduction, dismissal or removal from service, fine or any other punishment :

Provided further that person so taken over may elect within the prescribed period that he desires to be governed by the rules made under this Act in respect of conditions of service of the staff appointed by the Board under this Act and on his electing to do so the provisions of the first proviso shall cease to apply to him.

(2) (Omitted).

14. Appointment of clerical and other staff by Board.—(1) The Board shall have power to appoint the necessary clerical and executive staff to carry out and supervise the activities financed from the Fund :

Provided that the expenses of the staff thus appointed and other administrative expenses shall not exceed a prescribed percentage of the annual income of the Fund.

(2) The Board shall, with the approval of the Administrator, make regulations regarding the method of recruitment, pay and allowances, and other conditions of service of the members of its staff (other than the Welfare Commissioner and the Inspectors) :

Provided that, until the regulations are so made, the conditions of service of such staff shall be governed by the rules made by the Administrator in this behalf.

15. Power of Administrator to remove any person on staff of Board.—The Administrator shall have the power to remove any person whom he may deem unsuitable, from the service of the Board and to make an appointment in respect of whom more than one-third of the members of the Board have not agreed.

16. Power of Administrator or authorised officer to call for records, etc.—The Administrator or any officer authorised by the Administrator may call for the records of the Board, inspect the same and may supervise the working of the Board.

17. Mode of recovery of sums payable to Board, etc.—Any sum payable to the Board or into the Fund under this Act shall, without prejudice to any other mode of recovery, be recoverable on behalf of the Board as an arrear of land revenue.

17A. Penalty for obstructing inspection in discharge of inspector's duties or failure to produce documents, etc.—Any person who wilfully obstructs an Inspector in the exercise of his powers or discharge of his duties under this Act or fails to produce for inspection on demand by an inspector any registers, records or other documents maintained in pursuance of the provisions of this Act or the rules made thereunder or to supply to him on demand true copies of any such documents, shall, on conviction, be punished.

(a) for the first offence, with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both; and

(b) for a second or subsequent offences, with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both;

Provided that, in the absence of special and adequate reasons to the contrary to be mentioned in the judgement of the Court, in any case where the offender is sentenced to a fine only, the amount of fine shall not be less than fifty rupees.

17B. Provisions relating to jurisdiction.—(1) No Court inferior to that of a Metropolitan shall try any offence punishable under section 17A.

(2) No prosecution for such offence shall be instituted, except by an inspector with the previous sanction of the Welfare Commissioner.

(3) No Court shall take cognizance of such offence, unless, complaint thereof is made within six months of the date on which the offence is alleged to have been committed.

18. Supersession of Board.—(1) If the Administrator is satisfied that the Board has made default in performing any duties imposed on it by or under this Act or has abused its power, the Administrator may by notification in the Delhi Gazette supersede and reconstitute the Board in the manner prescribed for constitution of the Board:

Provided that before issuing the notification under this sub-section, the Administrator will give a reasonable opportunity to the Board to show cause why it should not be superseded and shall consider the explanations and objections, if any, of the Board.

(2) After the supersession of the Board and until it is reconstituted the powers, duties and functions of the Board under this Act shall be exercised or performed by the Board or by such officer or officers, as the Administrator may appoint for this purpose.

19. (1) The Administrator may, by notification, in the Delhi Gazette and subject to the condition of previous publication, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may be made for all or any of the following matters, namely:—

(a) the intervals at which or the period within which any of the sums referred to in section 3 shall be paid to the Board or into the Fund, the manner of making such payment and the agency for and manner of, collection of any such sum;

(b) the manner in which the accounts of the Fund shall be maintained and audited under sub-section (3) of Section 3;

(c) the procedure for making grants from the Fund under section 7;

(d) the procedure for defraying the expenditure incurred in administering the Fund;

(e) the number of representatives of employers and employees, independent members and representatives of women on the Board, and the allowances, if any, payable to them, under section 4;

(f) the manner in which the Board shall conduct their business;

(g) the duties and powers of the inspectors and the conditions of service of the Welfare Commissioner and Inspectors appointed under this Act;

(ga) the delegation of the powers and functions of the Board to the Welfare Commissioner and the conditions and limitations subject to which the powers may be exercised or functions discharged;

(h) the percentage of the annual income of the Fund beyond which the Board may not spend on the staff and on other administrative members;

(i) the Registers and records to be maintained and returns to be sent to the Board under this Act;

126

122

(j) the publication of the report of the activities financed from the Fund together with a statement of receipts and expenditures of the Fund and statement of accounts;

(k) any other matter which under this Act is or may be prescribed.

(3) (Omitted).

20. Members of Board Welfare Commissioner, Inspectors and all officers and servants of Board to be public servants—The members of the Board, the Welfare Commissioner, Inspectors and all officers and servants of the Board shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

XLV of 1960

21. Protection to person acting in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

22. Exemptions.—The Administrator may by notification in the Delhi Gazette exempt any class of establishment from all or any of the provisions of this Act subject to such conditions as may be specified in the notification.

23. Amendment of section 8 of Act IV of 1936.—In section 68 of the Payment of Wages Act, 1936 in its application to the Union Territory of Delhi, to sub-section (8) to the following shall be added, before the explanation, namely:—

IV of 1936

“but in the case of any factory or establishment to which the Bombay Labour Welfare Fund Act, 1953, as extended to the Union territory of Delhi, applies all such realisations shall be paid into the Fund constituted under the said Act.”.

Bombay XL of 1953

[U-11015|1|85-UTL(168)]

ASHOK NATH, Jt. Secy.